

M.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION-2013

Roll No./ अनुक्रमांक

--	--	--	--	--

कुल प्रश्नों की संख्या : 4
Total No. of Questions : 4

मुद्रित पृष्ठों की संख्या 10
No. of Printed Pages : 10

विधि प्रायोगिक चतुर्थ प्रश्न-पत्र (Law Practical) Fourth Paper

समय – 1.30 घण्टे
Time Allowed – 1.30 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks - 100

Instructions/निर्देश :-

1. All questions are compulsory. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।
2. Please, adhere to the words limit of answer, which is approximately 60 words for Q.No. 1(a)-1(f) & 2(a)-2(f) each. Violation may lead to minus marking.
प्रश्न के उत्तर की शब्द-सीमा प्रश्न के साथ दी गई है, जो कि प्रश्न क्रमांक 1(a)-1(f) & 2(a) 2(f) के प्रत्येक उत्तर के लिए लगभग 60 शब्द निर्धारित की गई है, उसका अवश्य पालन करें। उल्लंघन पर ऋणात्मक मूल्यांकन हो सकता है।
3. Write your Roll Number in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary sheet. Any attempt to disclose Roll No. or Identity in any form, in any other part thereof, shall disqualify the candidate.
उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। किसी भी प्रकार से किसी अन्य भाग पर रोल नम्बर अथवा पहचान प्रकट करने पर उम्मीदवार निरर्हित हो जायेगा।
4. Answers of this Question Paper must only be given in Answer-book provided for the 4th Question Paper. Answers given on other Answer-sheets may not be valued.
इस प्रश्न पत्र के उत्तर, केवल चतुर्थ प्रश्न पत्र हेतु दी गई उत्तर-पुस्तिका में ही लिखें। अन्य उत्तर पुस्तिका में उत्तर दिये जाने पर उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।
5. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of answer-book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer-book may not be done.
सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर-पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

COURT PROCEDURE

1(a)-Whether a Court has discretion to direct the defence to bear the expenses incurred by a defence witness even in non-bailable case instituted by the State ? Explain with reference to the relevant rule and the case law, if any? 5

क्या न्यायालय को यह विवेकाधिकार है कि वह राज्य के द्वारा संस्थित अजमानतीय प्रकरण में बचाव पक्ष को बचाव साक्षी का व्यय वहन करने के लिये निर्देशित कर सके ? सुसंगत नियमों एवं न्यायदृष्टांतों, यदि कोई हो तो, के संदर्भ में व्याख्या कीजिए -

